



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23052025-263338
CG-DL-E-23052025-263338

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2218]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 20, 2025/वैशाख 30, 1947

No. 2218]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 20, 2025/VAISAKHA 30, 1947

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मई, 2025

का.आ. 2272(अ).— जबकि भारत सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि असम राज्य में नार्थ - इस्ट नेचुरल गैस पाइपलाइन ग्रिड परियोजना के गुवाहाटी - नुमालीगढ़ - दीमापुर खंड के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और भारत सरकार को उक्त पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें उक्त पाइप लाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, भारत सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियों साधारण जनता को उपलब्ध कर दी जाती है, 21 दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाए जाने की संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड, असम राज्य, को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला : गोलाघाट			राज्य : असम			
सर्कल	मौज़ा	गाँव	दाग नं	क्षेत्रफल		
				हेक्टेअर	आर	वर्ग मीटर
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
सरूपथार	सरूपथार	बेबेजिया	191	0	08	01
			177	0	0	44
			176	0	0	21
			174	0	0	31
			169	0	16	69
			312	0	5	44
			145	0	0	43
			339	0	2	48
			238	0	4	89
			210	0	50	94

[फा. सं. एल - 14014-18-2023 - जी पी - II(ई -47090)]

रामजीलाल मीना, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th May, 2025

S.O. 2272(E).— Whereas it appears to the Government of India that it is necessary in public interest that for transportation of natural gas through Guwahati – Numaligarh – Dimapur Section of North - East Natural Gas Pipeline Grid Project in the State of Assam, a pipeline should be laid by M/s Indradhanush Gas Grid Limited;

And, whereas it appears to Government of India that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, (50 of 1962) Government of India hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty-one days from the date of which the copies of the notification issued under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of User therein for laying of the pipeline under the land to Competent Authority, M/s Indradhanush Gas Grid Limited, State of Assam.

SCHEDULE

District: Golaghat			State: Assam			
Circle	Mouza	Village	Dag No.	Area		
				Hectare	Are	Square Meter
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
Sarupathar	Sarupathar	Babestia	191	0	08	01
			177	0	0	44
			176	0	0	21
			174	0	0	31
			169	0	16	69
			312	0	5	44
			145	0	0	43
			339	0	2	48
			238	0	4	89
			210	0	50	94

[F. No. L-14014-18-2023-GP-II (E-47090)]

RAMJI LAL MEENA, Under Secy.